तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
7/2/20	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. / अनुपस्थित। [illegible] दौरे [illegible] अधिकारी [illegible] में व्यस्त। पत्रावली [illegible] आदेश दिनांक 13/3/20 को पेश हो।
13/3/20	पत्रावली पेश हुई। वकुलाव फरिकेन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 8/4/20 को पेश हो। अधिभाषकगण ने वर्क सस्पेन्ड किया।
	04-09-2020 कोविड-19 संक्रमण के चलते पत्रावली नियत कार्यवाही पेशी से काज पेश हुई। प्रतिवादी नं० 2 की तामील जरिए [illegible] [illegible] पत्रावली दिनांक 11-09-2020 को पेश हो।
	11-09-2020 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उप०। प्रतिवादी सं० 2 की तामील सम्यक रूप से होकर लौटी है। बावजूद सम्यक तामील उनकी ओर से कोई हाजिर अदालत नही आया। अत: प्रतिवादी नं० 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी ने मुख्य परीक्षण बाबत "हरिप्रसाद पुत्र रामेश्वरलाल", "मंगलचन्द पुत्र रघुनाथ" एवं "रामेश्वर पुत्र रामनिवास" के शपथ-पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। वकील उभय पक्ष ने मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 21-09-2020 को पेश हो।
	21-09-2020 पत्रावली वास्ते आदेश आज

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
पेश हुई। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। वरवक्त बहस वकुलाय उभय पक्ष ने मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। चूंकि विवादित पक्षकारान आपसी सहमति से अपनी कृषि भूमि की खातेदारी दर्ज करवाना चाहते है एवं इस बाबत राजीनामा पेश कर न्यायालय हाजा द्वारा तस्दीक भी करवा लिया है अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक राजीनामा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। प्रकरण में उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 21-09-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। 21/9/2020 (राकेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	

Scanned by CamScanner